(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 971-एक/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.04.2006 पारित द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 314/04-05/अपील.

---

1. सुरेश कुमार पिता भंवरलाल
2. श्रीमती भगवती बाई पत्नी श्यामलाल,

निवासी नलखेड़ा, तहसील नलखेड़ा, जिला शाजापुर .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर,
   जिला शाजापुर
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन .....प्रत्यर्थीगण

श्री एस.एन. उपाध्याय, अभिभाषक, अपीलार्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/18 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 24.04.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, नलखेड़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/बी-121/03-04 में अनुविभागीय अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के माध्यम से कलेक्टर, शाजापुर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गुदरावन स्थित सर्वे नंबर 1435 रकबा 0.040 हेक्टेयर शासकीय भूमि है । प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1999-2000 में अपीलार्थी क्रमांक 1 सुरेश कुमार का अतिक्रमण दर्ज है और वर्ष 2002-03 में प्रकरण क्रमांक 18/अ-19/(4)/2000-01 का फर्जी हवाला देकर पटवारी भागीरथ सूर्यवंशी ने अतिक्रामक अपीलार्थी क्रमांक 1 को भूमिस्वामी बना दिया है । अपीलार्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी क्रमांक 2 को विक्रय कर शासकीय भूमि की अफरा-तफरी की गई है और विक्रय पत्र

के आधार पर अपीलार्थी क्रमांक 2 का नामान्तरण भी हो गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला शाजापुर को भेजा गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने हेतु अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर को अंतरित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 106/स्व.निग./04-05 दर्ज कर दिनांक 29-7-2005 को प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त दिनांक 24.06.2006 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवस्थापन भूमिस्वामी अधिकारों पर किया जाता है तथा भूमिस्वामी को उसकी भूमि विक्रय करने के अधिकार है। इस आधार पर कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा व्यवस्थापन निरस्त करना विधि विधान के विपरीत है। यह भी कहा गया कि नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध होकर तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि का व्यवस्थापन अपीलार्थी क्रमांक 1 के हित में किया गया। व्यवस्थापित भूमि का क्षेत्रफल केवल 0.004 हैक्टेयर एवं भूमि काबिल काश्त होने से पड़ोसी कृषक के नाम व्यवस्थापन करने के प्रावधान हैं। इसी आधार पर अपीलार्थी क्र. 1 के नाम व्यवस्थापन किया गया। अतः बिना किसी आधार के व्यवस्थापन को निरस्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। तर्क में यह भी कहा गया कि रजिस्ट्री विक्रय करने एवं नामांतरण होने के पश्चात् नामांतरण आदेश को अपील में चुनौती दी जा सकती थी। अतः आवंटन को त्रुटिपूर्ण बताकर नामांतरण को निरस्त करना एक प्रकार से विधि विधान का उल्लंघन है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि व्यवस्थापन वर्ष 2000-01 में किया गया तथा प्रकरण चार वर्ष पश्चात् वर्ष 2004-05 में स्वमेव निगरानी में लिया गया है, जबकि विधि अनुसार कोई भी प्रकरण स्वमेव निगरानी में युक्ति युक्त समय के अंदर लिया जा सकता है। अपर कलेक्टर द्वारा चार वर्ष पश्चात् स्वमेव निगरानी में लिया गया है, जो कि युक्ति युक्त समय नहीं माना जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा भी उक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा केवल अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों को आधार मानकर अपील निरस्त किया गया है, जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। तर्कों के समर्थन में 2005 राजस्व निर्णय 66 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन शासकीय भूमि अपीलार्थी पक्ष के हित में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज की गई थी, जो कि अधिकारिता रहित एवं शून्यवत है और ऐसे आदेश को किसी भी समय हस्तक्षेप किया जा सकता है, इसमें समय-सीमा का कोई बंधन नहीं है । इस सम्बन्ध में 1994 आर.एन. 302 मुन्ना विरूद्ध तुलसी तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-परिसीमा का प्रश्न-आदेश अधिकारिता रहित-ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है-परिसीमा का वर्जन नहीं ।"

अत: अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरनी में लेकर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित किये जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर कलेक्टर के आदेश को विधिसंगत एवं न्यायोचित पाते हुए आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृरूटान्तों के प्रकाश में अपर कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित होने से इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2006 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर